



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन 1934 (श0)
(सं0 पटना 233) पटना, बृहस्पतिवार, 14 मार्च 2013

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
13 मार्च 2013

एस०ओ० 164, दिनांक 14 मार्च 2013—केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा-8 की उप-धारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ऐसा किया जाना लोकहित में आवश्यक है, बिहार के राज्यपाल यह घोषित करते हैं कि उद्योग विभाग द्वारा निबंधित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं की अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में की गयी बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री-कर की दर 1 प्रतिशत होगी।

2. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं० बिक्री कर/ऊ-01/2011-1)—842]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

13 मार्च 2013

एस०ओ० 165, एस०ओ० 164, दिनांक 14 मार्च 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं० बिक्री कर/ऊ-01/2011-1)—842]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 13th March 2013

S.O. 164, dated the 14th March 2013—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 the Governor of Bihar, after being satisfied that it is necessary to do so in public interest, is pleased to declare that rate of Central Sales Tax shall be one percent on sales of products, made in course of interstate

trade or commerce manufactured by micro, small and medium industries registered by the Industries Department.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[File No. Bikri-Kar/Industries-01/2011-I)—842]

By order of the Governor of Bihar,

SUDHIR KUMAR,

Commissioner-cum-Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 233-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>